

16-8-23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित
प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस
सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी एक तरफा बहस
में इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा डोबिया
प-हू धामचा की आराजी स-113 सी. रकबा 2.1900
एवं आ.स. 142/113 रकबा 0.6500 है भूमि प्रार्थीया
के नाम दर्ज अंकित है। जिस पर प्रार्थीया के अलावा
किसी अन्य का कोई हक अधिकार नहीं है। जिस पर
प्रार्थीया की भूमि पर विपक्षी जो निकट रिस्तेदार
भी है। जो प्रार्थीया की उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण
करना चाहता है एवं आये दिन लड़ाई झगडा कर
उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग करने से
रोकता है। अतः प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजी
स. 113 सी. व आ.स. 142/113 किता-2 कुल रकबा
2.8400 है। भूमि में न तो स्वयं प्रवेश करे एवं
न ही अन्य से प्रवेश करावे प्राप्त स्वीकार पारमाया
जावे। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस
सूनी गई प्रकरण में विपक्षी को जरिये सम्मन से
तलब किया जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से
एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।
प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सूनी
गई एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन
किया गया प्रकरण में प्रस्तुत नकल जमानन्द्री सम्बन्ध
2078-2078 खाता स. 13 आ.स. 113 सी. आ.स. 142/
113 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8400 है। भूमि गंगा
बाई प्रति राम लाल भील के नाम खातेदार से दर्ज
रिकार्ड है। जिसमें अन्य किसी और का हक अधिकार
नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पर स्वीकार होने योग्य
पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ.घा. 212 R/T का
स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को जरिये अस्थाई
निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया
जाता है कि मौजा डोबिया प-हू धामचा के खाता स.
13 आराजी स. 113 सी. 142/113 कुल किता-2 कुल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तारीख
में जारी हुए

पुंव न ही आयका कोई नोकर पुजेन्ट रिश्ते दार आवे
ही प्रवेश करे पुंव न ही करावे। पत्रावली पौसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक
16-8-23 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया
गया